न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 28/2010

1. मोडूलाल पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी बालापुरा तह0 मांगरोल
2. गिरधर गोपाल आत्मज मथुरालाल जाति मीणा निवासीगण बालापुरा तह0 मांगरोल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

......प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गतधारा 136 आर0एल0आर0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री भंवर सिंह गौड

दायरा दिनांकः 27.05.2010 निर्णय दिनांक : 21.06.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी गण के खाते की आराजी खसरा नं0 375 रकबा 0.06 है0 खसरा नं0 377 रकबा 0.03 है0 खसरा नं0 387 रकबा 0.72 है0 खसरा नं0 442 रकबा 2.05 है0 खसरा नं0 759 रकबा 1.08 है0 खसरा नं0 802 रकबा 3.20 है0 कुल किता 6 रकबा 7.14 है0 ग्राम बालापुरा में स्थित है दूसरा खाता संख्या 114 में खसरा नं0 308 रकबा 2.69 है0 खसरा नं0 456 रकबा 2.24 है0 खसरा नं0 663 रकबा 0.95 है0, खसरा नं0 700 रकबा 0.19 है0 कुल किता 4 रकबा 6.07 है0 आराजी माल बालापुरा में स्थित है जो प्रार्थीगण के खाते दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता मथुरालाल के खाते में खाता संख्या 92 खसरा नं0 170 रकबा 0.12 है0 आराजी ग्राम बालापुरा में मथुरालाल पुत्र मन्नालाल के खाते दर्ज है। सेटलमेंट से पूर्व उक्त आराजी खाता संख्या 50 में खसरा नं0 25 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा खसरा नं0 35 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा खसरा नं0 45 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा खसरा नं0 175 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा खसरा नं0 206 रकबा 13 बिस्वा खसरा नं0 217 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा खसरा नं0 271 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा खसरा नं0 287 रकबा 17 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 8 रकबा 91 बीघा आराजी मथुरा पुत्र मन्ना हिस्सा 1/2 पारी बेटी गोबरिया के खाते दर्ज है बाद सेटलमेंट उक्त आराजी के उक्तानुसार खसरा नं0 कायम किये गये। सेटलमेंट से पूर्व के खाते में सेटलमेंट के दौरान पारी पुत्री गोबरिया ने उसके हिस्से की समस्त आराजी प्रार्थीगण के खाते दर्ज करा दी उक्त खाते के प्रार्थीगण ही अब मात्र खातेदार है। सेटलमेंट के पूर्व के खातें में कुल आराजी 91 बीघा थी प्रार्थीगण के खाता संख्या 115 व 114 की कुल आराजी 13.21 है0 होती है अर्थात 82 बीघा के लगभग बनती है सेटलमेंट के दौरान प्रार्थीगण के खाते की उक्त आराजी में सेटलमेंट विभाग ने 8 बीघा आराजी कम दर्ज कर दी खाता संख्या 50 के खसरा नं0 271 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा के नया खाता संख्या 114 खसरा नं0 456 रकबा 2.24 है0

[illegible] गया जिसमें 5 बीघा 15 बिस्वा आराजी कम की गयी है। पूर्व खसरा नं0 45 रकबा 22 बीघा [illegible] आराजी के नये खसरा नं0 118 रकबा 3.75 है0 कायम किये गये केचमेंट के पश्चात खसरा नं0 [illegible] व नये खसरा नं0 802/1 रकबा 3.20 है0 कायम किया गया इसमें 0.53 है0 आराजी कम की गयी [illegible] पुराना खसरा नं0 44 रकबा 8 बीघा दर्ज थी बाद सेटलमेंट खसरा नं0 170 रकबा 0.12 है0 मथुरा पुत्र [illegible] के दर्ज की गयी लेकिन वर्तमान में इस आराजी का कोई पता ही नही है। अतः प्रार्थी के वर्तमान खसरा नं0 456 रकबा 2.24 है0 आराजी बालापुरा में 5 बीघा 15 बिस्वा आराजी यानी वर्तमान आराजी 0.93 है0 जोड़कर रकबा 3.17 है0 आराजी संशोधित करने का आदेश प्रदान करें तथा केचमेंट विभाग के द्वारा कम किया गया रकबा 0.53 है0 को खसरा नं0 802/1 रकबा 3.20 है0 के स्थान पर 3.75 है0 जमाबंदी में संशोधित करने के आदेश प्रदान करें खसरा नं0 170 का रकबा 0.12 है0 को मौके पर भौतिक सत्यापन कराकर प्रार्थी को 0.12 है0 आराजी से अवगत कराने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 14.12.2010 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र कमांक/भू0अ0/2018/2 दिनांक 21.06.2018 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि केचमंट के द्वारा किया गया कमी रकबे की पूर्ति करना एल आर एक्ट 136 के अन्तर्गत नही किया जा सकता केचमेंट द्वारा भूमि खेतो के रास्ते एवं ड्रेन निकालकर रकबा कम किया जाता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उनके खाते की आराजी में दौराने केचमेंट हुयी कमी रकबे की पूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की केचमेंट द्वारा भूमि खेतो के रास्ते एवं ड्रेन निकालकर रकबा कम किया जाता है जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकारने योग्य नही है और ना ही प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट किया है कि उनके कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नम्बर से की जानी है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प बमोरीकलां मजमेंआम में सुनाया गया।